उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आयुक्तों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	वेतनमान (रु.)	वर्तमान कुल वेतन (रु.)
1.	श्री एन. एस. नपलच्याल, मुख्य सूचना आयुक्त	90000.00 (नियत)	50000.00 + 40000.00 (पेंशन) + D.A=204540
2	श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त	80000.00 (नियत)	80000.00+ D.A=168540
3	श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त	80000.00 (नियत)	80000.00+ D.A=168540
4	श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त	80000.00 (नियत)	80000.00+ D.A=168540
5	श्री राजेन्द्र कोटियाल, राज्य सूचना आयुक्त	80000.00 (नियत)	80000.00+ D.A=168540
6	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, राज्य सूचना आयुक्त	80000.00 (नियत)	80000.00+ D.A=127005
7	डा. शुचिस्मिता सेनगुप्ता पाण्डेय, उपसचिव	15600 – 39100	59298
8	श्री नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल, सचिव	15600–39100	67154
9	श्री एस.एल. सेमवाल, उपसचिव	15600–39100	60218
10	श्री त्रेपन सिंह बिष्ट, विधि अधिकारी (संविदा)	15600–39100	27926
11.	श्री राजेश नैथानी निजी सचिव/जन सम्पर्क अधिकारी (संविदा)	9300–34800	28344
12.	श्री मनमोहन नैथानी, लेखाकार (प्रतिनियुक्ति) लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी	15600–39100	40866
13.	श्रीमती हीरा रावत, समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	9300–34800	38671
14.	श्री उमेश चन्द्र सिंह, सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	9300–34800	21598
15	श्री सौरभ कुमार, सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	5200–20200	24435
16	श्री भूपेन्द्र चन्द्र पपनै, सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	5200–20200	28651

17	श्री जितेन्द्र पाण्डे, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14231
18.	श्री नरेश बिजलवाण, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14231
19.	कु0 नीतू रावत, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14231
20.	कु0 नीतू भण्डारी, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14231
21	श्री चन्द्रा गुसांई, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14231
22	श्रीमती रजनी भण्डारी, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	12725
23	श्रीमती सुब्रोतिका जोशी, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14231
24.	श्रीमती अनुराधा, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14231
25.	श्री शैलेन्द्र हटवाल, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	12725
26.	श्री नरेन्द्र गनघरिया, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	12725
27	कु0 आशा घिल्डियाल, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	12725
28	श्रीमती अमृता गुरुंग, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	12725
29	श्री मनोज सिंह, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	12725
30	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	11392
31	श्री हरि सिंह पटवाल, गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	11392
32	श्री वासुदेव पंथी, सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	11392

33	श्री मोहन सिंह नेगी, सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	11392
34	श्री फकीर सिंह, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9676
35	श्री मनोज कुमार, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9676
36	श्री रवेन्द्र सिंह, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9676
37	श्री प्रदीप खत्री, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9676
38	श्री हरपाल सिंह अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9676
39	श्री चंचल राम अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9676
40	श्री सुन्दर सिंह धामी अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9676
41	श्री सुरेन्द्र पाल अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9676
42	श्री पंकज कुमार, रिकॉर्ड कीपर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	12725
43	श्री प्रकाश सिंह, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9676
44	श्री विपिन कुमार, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	16412
45	श्री नागेन्द्र भट्ट, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	16412
46	श्री धारा सिंह, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	16412
47	श्री बृजमोहन सिंह, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	16412
48	श्री नन्दू सिंह, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	16412

मैनुअल संख्या : 11 [धारा 4(1)(ख)(xi)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग की सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट.

उत्तराखण्ड शासन में सामान्य प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड सूचना आयोग का नोडल विभाग है. उत्तराखण्ड सूचना आयोग को वार्षिक बजट उत्तराखण्ड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्राप्त होता है.

आयोग में आहरण वितरण का कार्य उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा किया जाता है.

वर्ष 2013–14 हेतु आयोग को प्राप्त बजट का विवरण निम्नवत् है:

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, GAD (5017)

शा पत्र संख्या - 1477/xxxi(13)G/2013 अलोटमेंट आई डी - S1304060278

क्रम संख्या - 006 आवंटन पत्र दिनांक - 12-Apr-2013

HOD Name - Secretary State Information Commission (4661)

लेखा शीर्षक - 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें 00

800 - अन्य व्यय 13 - सूचना आयोग की स्थापना

00 - सूचना आयोग की स्थापना

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	6100000	6100000
02 - मजदूरी	0	240000	240000
03 - महगाई भत्ता	0	5100000	5100000
04 - यात्रा व्यय	0	140000	140000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0	80000	80000
06 - अन्य भत्ते	0	671000	671000
07 - मानदेय	0	50000	50000
08 - कार्यालय व्यय	0	900000	900000
09 - विद्युत देय	0	300000	300000
10 - जलकर / जल प्रभार	0	30000	30000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की	0	200000	200000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	300000	300000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	300000	300000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट	0	1400000	1400000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	0	3500000	3500000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स	0	1200000	1200000
18 - प्रकाशन	0	300000	300000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्या	0	70000	70000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	0	200000	200000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	0	100000	100000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	100000	100000
42 - अन्य व्यय	0	600000	600000
44 - प्रशिक्षण व्यय	0	1000	1000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	0	100000	100000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	0	100000	100000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	0	220000	220000
	0	22302000	22302000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 22302000

मैनुअल संख्या : 12 [धारा 4(1)(ख)(xiii)]

सहायक कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित है.

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में, सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम सम्पादित नहीं किए जाते हैं.

मैनुअल संख्या : 13 [धारा 4(1)(ख)(xiii)]

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में ऐसे कार्यक्रम सम्पादित नहीं किये जाते है.

मैनुअल संख्या : 14 [धारा 4(1)(ख)(xiv)]

किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों

क्रम संख्या	अभिलेख का प्रकार	किस इलैक्ट्रानिक रूप में अभिलेख रखे गये हैं	अभिलेख प्राप्त करने का माध्यम
1.	उत्तराखण्ड राज्य के लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों की सूची	वेबसाइट uic.gov.in पर	इण्टरनेट
2.	आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का सूची	वेबसाइट uic.gov.in पर	इण्टरनेट
3.	आयोग में योजित द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की दैनिक वाद सूचियां	वेबसाइट uic.gov.in पर	इण्टरनेट
4.	आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का सांख्यिकी विवरण	वेबसाइट uic.gov.in पर	इण्टरनेट
5.	द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों में पारित अंतिम आदेशों की पी. डी.एफ. प्रतियां	वेबसाइट uic.gov.in पर	इण्टरनेट
6.	उत्तराखण्ड सूचना आयोग का मैनुअल	वेबसाइट uic.gov.in पर सी0डी0 के रूप में	इण्टरनेट पर्सनल कम्प्यूटर के प्रयोग से

मैनुअल संख्या : 15 [धारा 4(1)(ख)(xv)]

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है.

1. नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आयोग कार्यालय में उत्तराखण्ड राज्य के लोक प्राधिकारियों से सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत तैयार किये गये मैनुअल उपलब्ध है.

2. आयोग कार्यालय जन सामान्य के लिये **प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक सप्ताह में 5 दिन** (सोमवार से शुक्रवार, राजकीय अवकाश को छोड़कर) खुला रहता है तथा आयोग के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से तथा दूरभाष पर इस दौरान अधिनियम के प्रयोग से संबंधित नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उपलब्ध रहते हैं.

3. राज्य सूचना आयोग में आम नागरिक किसी भी लोक प्राधिकारी स्तर पर रखी गई सूचना हेतु निर्धारित फीस पर आवेदन कर सकता है. उत्तराखण्ड सूचना आयोग के लोक सूचना अधिकारी, सूचना हेतु प्राप्त ऐसे अनुरोधों को संबंधित लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 6(3) में शीघ्रता से अंतरित करते हैं.

मैनुअल संख्या : 16 [धारा 4(1)(ख)(xvi)]

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ

लोक सूचना अधिकारी.

श्री मनमोहन नैथानी,
सहायक लेखाधिकारी
उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकारी भवन, रिंग रोड, लाडपुर,
देहरादून.
दूरभाष न0 0135–2675780, 2675779 (कार्यालय)
मोबाइल न0 9410393020

प्रथम अपीलीय अधिकारी

श्री नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल,
सचिव,
सूचना का अधिकारी भवन, रिंग रोड, लाडपुर,
देहरादून.
दूरभाष न0 0135–2675780, 2675779 (कार्यालय)
मोबाइल न0 9012081666

मैनुअल संख्या : 17 [धारा 4(1)(ख)(xvii)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग की ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय

उत्तराखण्ड शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की जन सामान्य तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिये पाठन सामग्री प्रकाशित की गयी है, जिसे नागरिकों / जन सामान्य द्वारा आयोग की वैबसाईट uic.gov.in पर ऑनलाईन रूप में देखा जा सकता है तथा आयोग कार्यालय से स–शुल्क प्रतियां (उपलब्धता के आधार पर) प्राप्त की जा सकती हैं.

आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

3. आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

आयोग द्वारा राज्य सरकार को ऐसी संस्तुतियां की जाती हैं जिनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों को सकारात्मक एवं व्यापक रूप में क्रियान्वित किये जाने में सफलता प्राप्त हो सकती है. ऐसी संस्तुतियां सूचना आयोग द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से की जाती हैं.

इसी क्रम में आयोग द्वारा निम्नलिखित 3 संस्तुतियां वर्ष 2012–13 के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से राज्य सरकार को की गयी थीं :

संस्तुति : 1

प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी प्रथम अपील के निस्तारण में मात्र लोक सूचना अधिकारी को सूचना 10 दिन या एक हफ्ते आदि अवधि में प्रेषित किये जाने के मात्र निर्देश दे रहे हैं, उनके द्वारा यह नहीं देखा जा रहा है कि क्या धारा 8 के विभिन्न प्राविधानों, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न मा0 उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के परिपालन में सम्बन्धित सूचना दी जा सकती है कि नहीं, जिस कारण आयोग के समक्ष द्वितीय अपीलें प्रस्तुत करनी पड़ रही हैं। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को चाहिए कि 15–15 दिन की तारीखें लगाकर लोक सूचना अधिकारी को सूचना दिये जाने हेतु निर्देशित करें व तब तक अपील का निस्तारण न करें जब तक की अनुरोध पत्र की सभी दी जाने वाली सूचनायें प्रेषित न कर दी जाये.

प्रथम अपीलीय अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत न केवल सांविधिक प्राधिकारी हैं बल्कि लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी भी हैं. अतः प्रथम अपीलिय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा उनके अनुश्रवण करने का भी दायित्व है ताकि प्रथम अपील के बाद ही आवेदक को पूर्ण सूचना प्राप्त हो जाए तथा उसे द्वितीय अपील करने की आवश्यकता न पड़े. इस हेतु लोक प्राधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ प्रथम अपीलीय अधिकारी को समय–समय पर निर्देश किया जाए तथा अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए.

संस्तुति : 2

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न दायित्वों के प्रभावी निर्वहन हेतु लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के प्रशिक्षण की नियमित व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा किया जाना आवश्यक है. इसके लिए प्रतिवर्ष उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल को इस मद में आय–व्ययक में धनराशि दिए जाने का प्राविधान किया जाए तथा वर्ष के प्रारम्भ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अकादमी तथा आयोग के साथ विचार–विमर्श कर प्रशिक्षण की प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए अकादमी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किए जाए. यह भी आवश्यक है कि फील्ड स्तर के अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण कर प्रशिक्षण को उपयोगी तथा परिणामपरक बनाया जाए.

संस्तुति : 3

कार्मिक, प्रशिक्षण तथा लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुरूप शासन के समस्त विभागों में सूचनाओं के स्वःप्रकटन की व्यवस्था किए जाने हेतु उन सब विभागीय कार्य–कलापों को चिन्हित कर उससे सम्बन्धित सूचनाएं धारा 4 (1) (ब) के अनुसार प्रकट करने की कार्यवाही प्रतिवर्ष एक निर्धारित अवधि यथा 30 जून तक करने के निर्देश सभी विभागों को जारी कर दिए जाएं. इस प्रकार स्वःप्रकटन किए जाने से सभी विभागों की सूचना पारदर्शिता पूर्वक सार्वजनिक संज्ञान में आ जायेगी तथा नागरिकों को पृथक से सूचना मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. अतः नोडल विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग स्तर से मुख्य सचिव द्वारा इस हेतु निर्देश प्रसारित किया जाना आवश्यक है. सामान्य प्रशासन विभाग इसकी समीक्षा एवं अनुश्रवण कर आयोग को भी अवगत करायें.

आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार के स्तर से कार्यवाही

उक्त के अतिरिक्त आयोग की अन्य संस्तुतियों पर राज्य सरकार के स्तर से कार्यवाही अभी अपेक्षित है.

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपने पूर्व के वार्षिक प्रतिवेदनों में निम्नलिखित प्रकार से संस्तुतियां की गयी हैं :

वर्ष	संस्तुतियों की संख्या	कृत कार्यवाही
2005 – 06	03	03
2006 – 07	20	12
2007 – 08	08	04
2008 – 09	09	04
2009 – 10	04	04
2010 – 11	05	05
2011 – 12	03	

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2009–10 के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के निवारण के लिये आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष शासन द्वारा कृत कार्यवाहियों का विवरण बिन्दुवार निम्नलिखित है :–

क्र0स0	आयोग की संस्तुतियां	शासन द्वारा कृत कार्यवाही
01	सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(अ)(iii) के अंतर्गत सामग्रियों के नमून लेने के विषय में शासनादेश के माध्यम से अथवा नियम बना कर नमूने लेने की प्रक्रिया वास्तविक लागत, फीस एवं अन्य व्यय के भुगतान की व्यवस्था का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए जिससे लोक प्राधिकारियों तथा जन सामान्य को इस संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं देय शुल्क का ज्ञान हो सके।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(अ)(iii) के अंतर्गत सामग्रियों के नमून लेने की प्रक्रिया वास्तविक लागत फीस एवं अन्य व्यय के भुगतान की व्यवस्था का निर्धारण किये जाने हेतु शासन द्वारा सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2007 अधिसूचना संख्याः– 35 सू0अ0 (XXXI)(13)/2007 दिनांक 31 जुलाई 2007 निर्गत की गयी है तथा उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली 2013 के नियम 6(क) में सूचना हेतु शुल्क निर्धारण का प्राविधान कर दिया गया है।
02	आयोग स्तर से अधिनियम की धारा 25(5) के अंतर्गत राज्य सरकार को समय–समय पर प्रेषित संस्तुतियों एवं सुझावों पर नोडल विभाग द्वारा परीक्षण करते हुये आयोग को अवगत कराया जाना चाहिए, विगत वर्षों में आयोग को यह आभास हुआ है कि नोडल विभाग के स्तर पर आयोग द्वारा प्रेषित संदर्भों, सुझावों तथा संस्तुतियों पर परीक्षणोपरान्त कार्यवाही हेतु विद्यमान व्यवस्था अपर्याप्त है, अतः नोडल विभाग के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के विषयों पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु एक सुदृढ़ प्रकोष्ठ की स्थापना की जानी आवश्यक है।	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आयोग स्तर से राज्य सरकार को समय–समय पर प्रेषित संस्तुतियों एवं सुझावों पर कार्यवाही हेतु विद्यमान व्यवस्था को क्या अपर्याप्त है, का कोई कारण उल्लिखित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में पृथक से सुदृढ़ प्रकोष्ठ की स्थापना किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। यदि भविष्य में कोई विशिष्ट आवश्यकता प्रतीत होती है तब मा0 आयोग की इस संस्तुति का समादर करते हुये यथा समय समुचित निर्णय लिया जायेगा।
03	विभागाध्यक्ष स्तर पर मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों को सूचना अनुरोधों एवं प्रथम अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया की विभागीय बैठकों के माध्यम से समीक्षा कर उन्हें यथोचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए जिससे सूचना अनुरोधों तथा प्रथम अपीलों के निस्तारण में गुणवत्ता परिलक्षित हो तथा आवेदकों का द्वितीय अपील करने की आवश्यकता में भी कमी आये।	विभागाध्यक्ष स्तर पर मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों का सूचना के अनुरोधों एवं प्रथम अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया के संबंध में यथोचित मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश संख्याः 239/XXXI(13) G/2010 दिनांक 23.03.2010 निर्गत किया गया है। साथ ही अधिनियम के लागू होने के पश्चात् लोक सूचना अधिकारियों के स्तर से आवेदकों को सूचना की पहुंच सुनिश्चित कराये जाने हेतु कुमांऊ मण्डल के अन्तर्गत सभी जनपदों में चिन्हित विभागों के लोक सूचना अधिकारियों का प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है तथा गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में चिन्हित विभागों के लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है तथा शेष जनपदों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

04	ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम का उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में अधिनियम के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु राज्य सरकार के स्तर पर शीघ्र एक कार्य योजना बनायी जानी चाहिए तथा अधिनियम के उपयोग के संबंध में विकास खण्ड एवं ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रचार–प्रसार एवं महत्तम उपयोग सुनिश्चित कराये जाने हेतु विकास खण्ड एवं ग्रामीण स्तर पर भी अधिनियम का व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु पंचायती राज विभाग की सहायता से ग्राम पंचायतों में वाल पेंटिंग (Wall Painting) करायी जा रही है ।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2010–11 के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के निवारण के लिये आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष शासन द्वारा कृत कार्यवाहियों का विवरण बिन्दुवार निम्नलिखित है :–

क्र0स0	आयोग की संस्तुतियां	शासन द्वारा कृत कार्यवाही
01	वर्तमान में आयोग का मुख्यालय देहरादून में स्थापित है जिसमें पूरे प्रदेश में प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई तथा निस्तारण मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा किया जाता है, प्रदेश के पर्वतीय तथा दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी अपीलों तथा शिकायतों की पैरवी करने तथा सुनवाई में उपस्थित होने के लिए लोगों को काफी समय एवं धन व्यय करना पड़ता है तथा दूरस्थ अंचलों से देहरादून तक आने जाने की कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। आयोग के दो क्षेत्रीय कार्यालयों का खोलने के संबंध में दिनांक 14.03.2006 को तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप यदि कुमाऊं मण्डल में अल्मोड़ा तथा गढ़वाल मण्डल में श्रीनगर में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय खोले जायें तो प्रदेश के दूरस्थ एवं दुर्गम अंचलों की जनता को अत्यंत सुविधा होगी तथा उनके निकटस्थ क्षेत्रीय कार्यालय में उनकी द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई तथा निस्तारण किया जा सकेगा। इसके संबंध में उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा आयोग के उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से दिनांक 22.02.2007 तथा अग्रेत्तर अन्य तिथियों को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने एवं पद स्वीकृत किये जाने के संबंध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था परन्तु इस पर राज्य सरकार द्वारा अभी तक अनुमोदन एवं स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। आयोग की संस्तुति है कि आयोग के उपरोक्त प्रस्ताव पर शासन स्तर पर शीघ्र निर्णय ले कर कार्यवाही की जाये।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रदेश के अधिकांश भूभाग के पर्वतीय एवं दुर्गम होने के कारण आयोग के दो क्षेत्रीय कार्यालयों कुमाऊ मण्डल में अल्मोडा एवं गढवाल मण्डल में श्रीनगर में खोले जाने का प्रस्ताव औचित्यपूर्ण न पाये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया है। उक्त प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय से मा0 आयोग को शासकीय पत्रांक–1316 XXXI(13)G/2012 दिनांक 05 जून 2012 द्वारा सूचित कर दिया गया है।

02	सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी कार्यालय/इकाई द्वारा अपने यहां प्राप्त होने वाले सूचना अनुरोध पत्रों के नियमानुसार निस्तारण के लिए लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया भी गया है आयोग में योजित द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के समय यह तथ्य परिलक्षित होता है कि सचिवालय के स्तर पर कई विभागों में समीक्षा अधिकारियों को भी लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नामित किया जा रहा है जबकि अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिए समीक्षा अधिकारियों को संबंधित अनुभाग अधिकारियों/अनु सचिव के स्तर से सूचना प्राप्त करनी होती है तथा अनुमोदन लेना होता है इससे जहां एक ओर परिहार्य समय व श्रम व्यर्थ होता है वहीं दूसरी ओर अनुरोधकर्ता को नियमानुसार समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध करा पाना भी संभव नहीं हो पाता है। आयोग की यह संस्तुति है कि सचिवालय स्तर पर न्यूनतम अनु सचिव स्तर के अधिकारियों को ही लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नामित किया जाये जिससे प्रार्थियों को नियमानुसार तथा समय से सूचना उपलब्ध करायी जा सके।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी कार्यालय यथा सचिवालय स्तर पर न्यूनतम अनुसचिव स्तर के अधिकारियों को ही लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किये जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय के स्तर से शासनादेश संख्या–1629/XXXI(13) G/2012 54(सू0अ0)/20 12 दिनांक 11 जून 2012 के माध्यम से निर्देश निर्गत किये जा चुके है।
03	आयोग की संस्तुति है कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा आयोग के स्वीकृत पदों को नियमित रूप से भरे जाने के सम्बन्ध में आयोग की जो सेवा नियमावली तैयार कर शासन को प्रेषित की गयी है उसका शासन स्तर पर अविलम्ब परीक्षण कर उसे स्वीकृत किया जाये जिसके उपरांत आयोग के स्वीकृत पदों को नियमित रूप से भरे जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके, इससे आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से पूर्ण किया जाना संभव को सके।	उत्तराखण्ड सूचना आयोग के स्वीकृत पदों को नियमित रूप से भरे जाने के संबंध में विभाग द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग अधिकारी कर्मचारी सेवा नियमवाली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही गतिमान है।

04	विभिन्न विभागों के प्रकरणों व विशेषकर राजस्व विभाग की सुनवाई के मध्य यह तथ्य संज्ञान में आया है कि राजस्व विभाग मे अभिलेखों यहां तक कि विभिन्न बन्दोबस्तों, खतौनियों, नक्शों खसरों आदि का कई वर्षों से विधिवत रख–रखाव नहीं किया जा रहा है। कई प्रकरणों में देहरादून में राजस्व विभाग के तहसील स्तर के अधिकारियों द्वारा निर्णीत दाखिल खारिज के प्रकरणों में पत्रावलियों उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि पिछले 2–3 वर्षों की उपलब्धता के बारे में तक स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता है। जाति प्रमाण पत्र अस्थाई निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों के रख–रखाव के संबंध में स्पष्ट नियमावली बने होने पर भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, राजस्व विभाग में उक्त अभिलेखों के सम्बन्ध में अब 2012 में एक शासनादेश निर्गत किया है। राजस्व व न्याय विभाग अकेला ऐसा विभाग है जिसकी अभिलेखों के रख रखाव व विनिष्टीकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट नियमावलियां बनी हुई हैं। लेकिन न्याय विभाग में अभिलेख तो व्यवस्थित होते पर राजस्व विभाग के अभिलेख व पत्रावलियों के रख रखाव आदि के सम्बन्ध में अधिकतर जनपदों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण ही प्राप्त नहीं है। राजस्व विभाग के अधिकारियों को न्याय विभाग के अधिकारियों से सहयोग प्राप्त कर अभिलेखों में विभिन्न स्तर न्यायालय अभिलेखागार आदि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।	सरकारी अभिलेखों के समुचित रख–रखाव, अभिरक्षा, अभिलेखन एवं विनिष्टीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु विभिन्न विभागों के कार्मिकों का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कार्यालय निरीक्षणालय के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–2860/XXXI(13) G/2013–374(सा0)/2013 दिनांक 23.09.2013 द्वारा संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है।
05	आयोग द्वारा विनिष्टीकरण नियमावली, 1917 के अनुरूप विभिन्न लोक प्राधिकारी स्तर पर अभिलेखों के विनिष्टीकरण के सम्बन्ध में पृथक–पृथक रूप से नियमावलियां बनाये जाने के निर्देश पूर्व में दिये गये थे लेकिन अभी तक अधिकतर लोक प्राधिकारियों द्वारा विभागों की विनिष्टीकरण नियमावलियां नहीं बनाई गयी है। आयोग का सुझाव है कि पूर्व में दिये गये निर्देश के क्रम में सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों द्वारा अपने–अपने विभागों की विनिष्टीकरण नियमावली बनाई जानी चाहिये।	शासन द्वारा सरकारी कार्यालयों में अभिलेखों के रख–रखाव निर्दान करने की प्रक्रिया एवं उन विषयों की सूची एवं उन्हें रखने की समयावधिक का विवरण सहित जो सामान्यता सभी सरकारी कार्यालयों में व्यवहृत होते हैं, के संबंध में सभी संबंधित विभागों को शासनादेश संख्या–244/XXXI(13) G/2005 दिनांक 23 अप्रैल, 2005 द्वारा दिशा निर्देश के अनुरूपक कार्यवाही करते हुये शासनादेश संख्या– 2223/XXXI(13) G/2013–37(सा0)/2013 दिनांक 15 जुलाई 2013 द्वारा सभी विभागों को अपने विभागों की पृथक से नियमावली तैयार करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

सूचना आवेदन पत्रों,
द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों
का
संख्यात्मक विवरण

4. सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण

विभिन्न लोक प्राधिकारियों के स्तर से आयोग को मासिक प्रगति विवरणों तथा आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के संख्यात्मक विवरण को निम्नलिखित ग्राफ / संख्यात्मक विवरण के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है :

4.1 प्रदेश के लोक प्राधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या

वर्ष 2013–14 में प्रदेश के विभिन्न लोक प्राधिकारी कार्यालयों में नामित लोक सूचना अधिकारियों को कुल 1,14,790 सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिसके सापेक्ष कुल 1,05,511 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण लोक सूचना अधिकारियों द्वारा किया गया. इस वर्ष राजस्व विभाग को सबसे अधिक 23,622 सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये.

4.2 आयोग में लोक प्राधिकारीवार प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या

वर्ष 2013–14 में राजस्व विभाग विभाग से सम्बन्धित सबसे अधिक द्वितीय अपील प्राप्त आयोग में प्राप्त हुयीं. इसके उपरान्त विद्यालयी शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, ऊर्जा विभाग तथा शहरी विकास विभाग से प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या थी.

4.3 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का जनपदवार प्रतिशत

आयोग को वर्ष 2013–14 में जनपद देहरादून से 39 प्रतिशत द्वितीय अपील प्राप्त हुयीं जो आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या का सर्वाधिक था. इसके उपरान्त हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल तथा पौड़ी जनपदों से आयोग को प्राप्त द्वितीय अपीलें की संख्या रही. बागेश्वर, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग तथा चम्पावत जनपदों से प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या एवं प्रतिशत अत्यंत कम रहा.

4.4 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का महिला – पुरूष प्रतिशत

विगत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2013–14 में महिला अपीलकर्ताओं की संख्या और कम रही तथा पुरूष अपीलकर्ताओं द्वारा ही अधिकतम द्वितीय अपीलें (95 प्रतिशत) आयोग को प्रेषित की गयी.

4.5 आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का शहरी – ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत

वर्ष 2013–14 में ग्रामीण क्षेत्रों से कुल 29 प्रतिशत तथा शेष 71 प्रतिशत द्वितीय अपीलें शहरी क्षेत्र से आयोग को प्राप्त हुयीं.

4.6 आयोग में धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का जनपदवार प्रतिशत

इस अवधि में द्वितीय अपीलों की भांति देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर तथा नैनीताल जनपदों से प्राप्त शिकायतों की संख्या अधिक रही है जबकि बागेश्वर, उत्तरकाशी तथा रूद्रप्रयाग जनपदों से प्राप्त शिकायतों की संख्या न्यूनतम रही है.

4.7 आयोग में प्राप्त शिकायतों का महिला – पुरूष प्रतिशत

वर्ष 2013–14 में कुल प्राप्त शिकायतों में से मात्र 3 प्रतिशत ही महिला शिकायतकर्ताओं द्वारा आयोग शिकायतें दर्ज करायीं तथा शेष 97 प्रतिशत शिकायतकर्ता पुरूष रहे.

4.8 आयोग में प्राप्त शिकायतों का शहरी – ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत

ग्रामीण क्षेत्रों से आयोग को वर्ष 2013–14 में 29 प्रतिशत शिकायतें प्राप्त हुयीं हैं जो कि विगत वर्ष की अपेक्षा कुछ अधिक है.

4.9 लोक प्राधिकारीवार प्रगति विवरण

विभिन्न लोक प्राधिकारियों को वर्ष 2013–14 में प्राप्त सूचना अनुरोध पत्र, प्रथम अपील तथा उनके सापेक्ष कृत निस्तारण आदि को इस विवरण में दिया गया है.

लोक प्राधिकारीवार प्राप्त सूचना आवेदन
(2013 – 14)

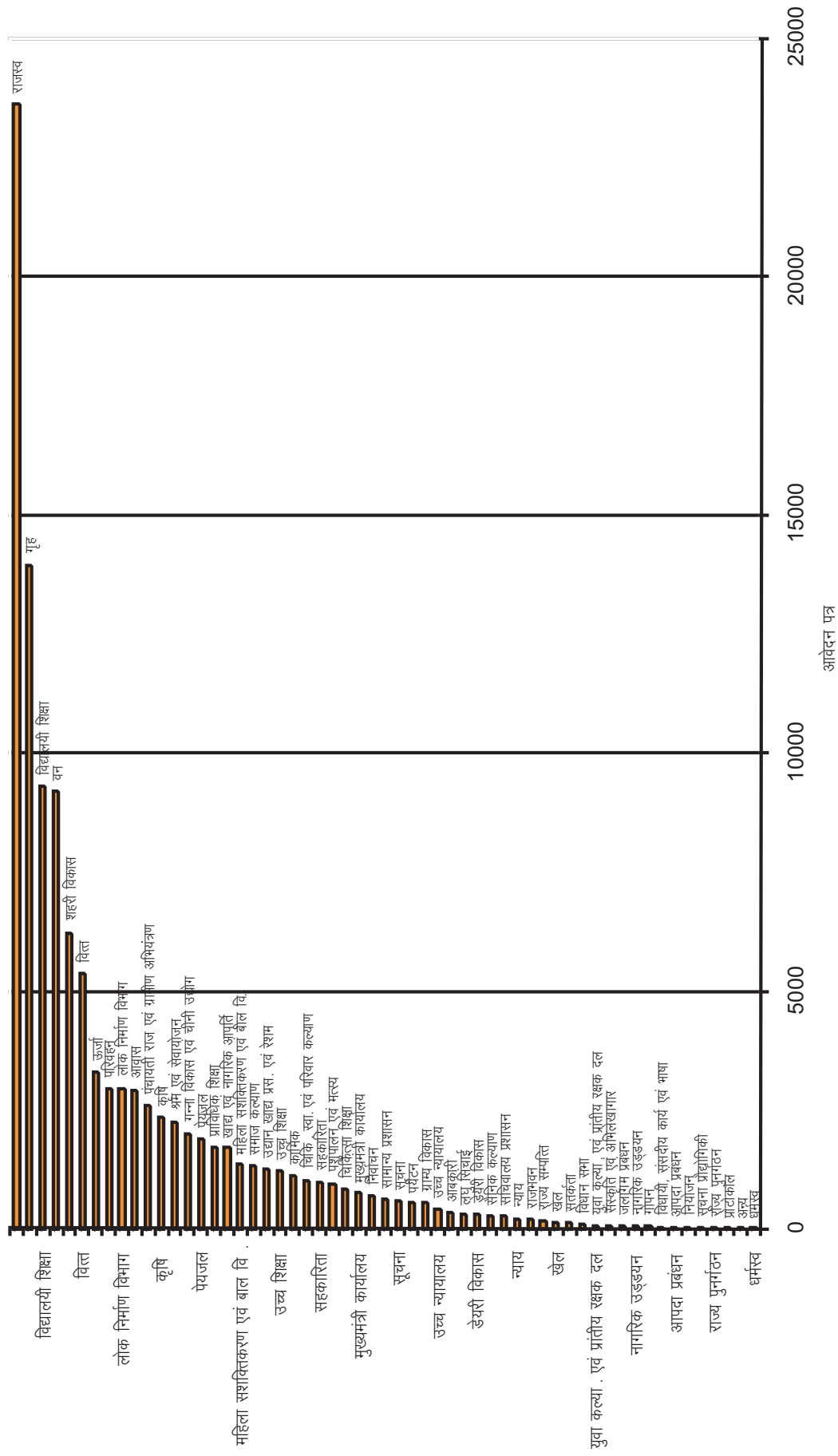

लोक प्राधिकारीवार आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों की संख्या
(2013 – 14)

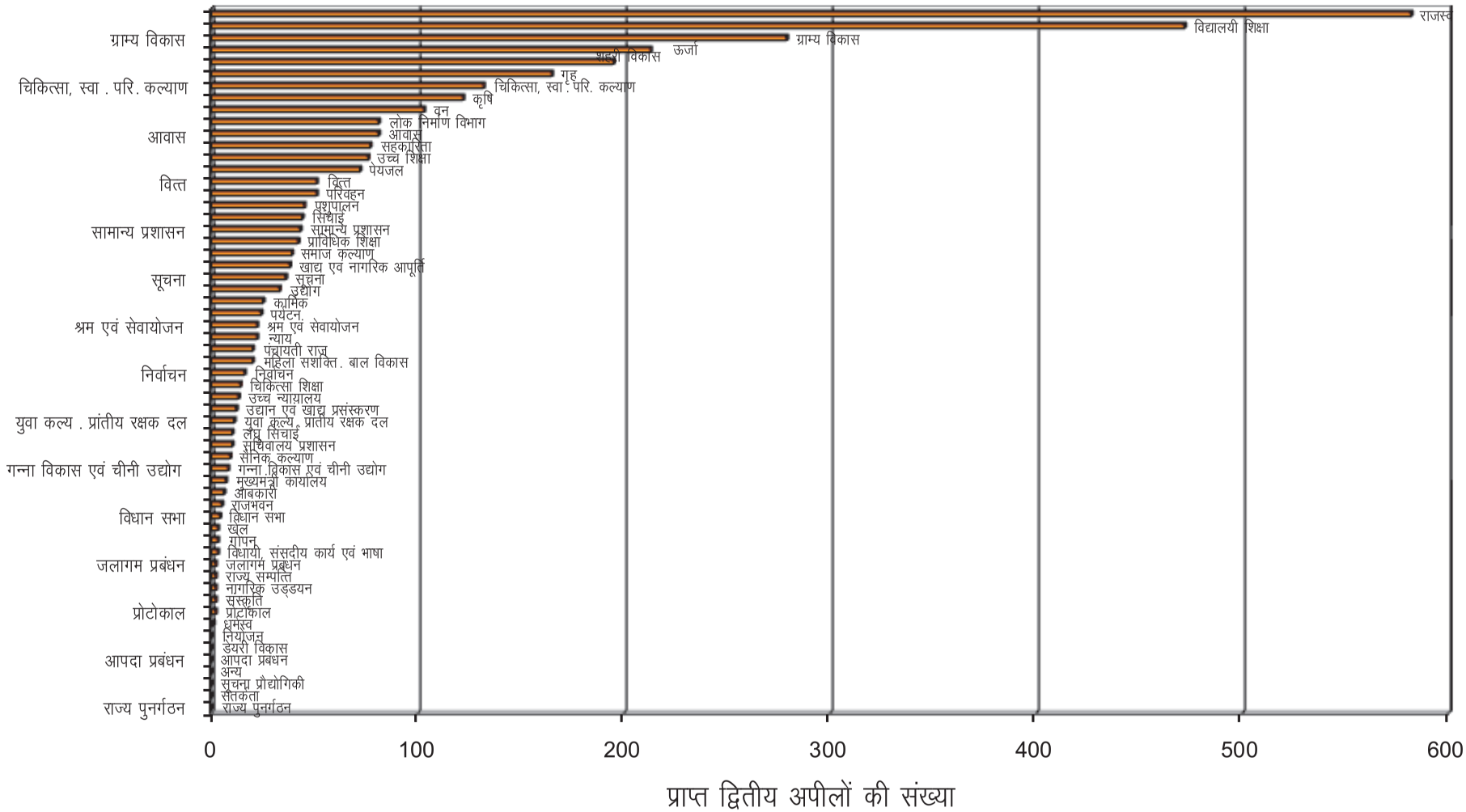

प्राप्त द्वितीय अपीलों का जनपदवार प्रतिशत (2013 – 14)

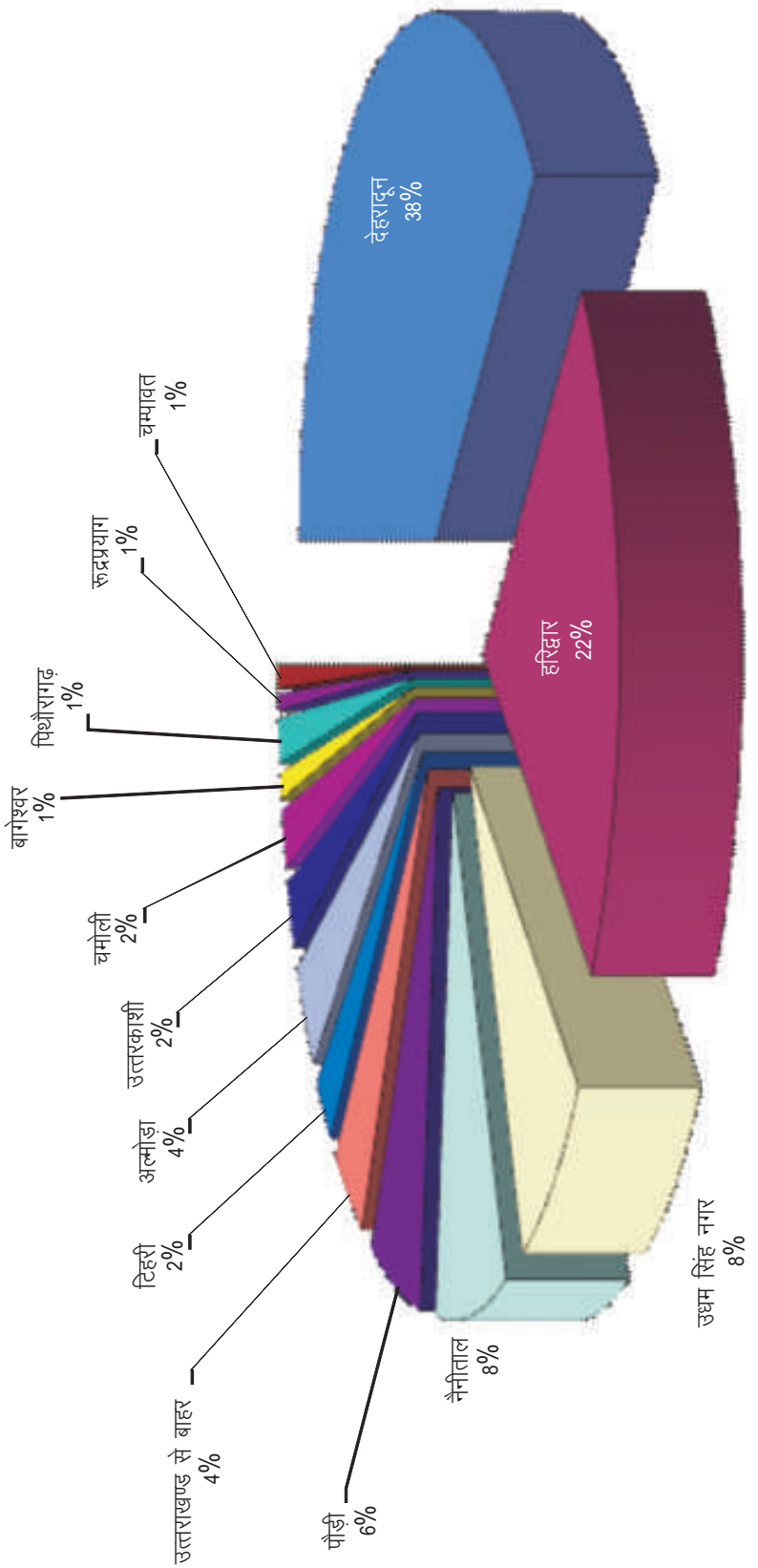

प्राप्त द्वितीय अपीलों का महिला – पुरूष अनुपात
(2013 – 14)

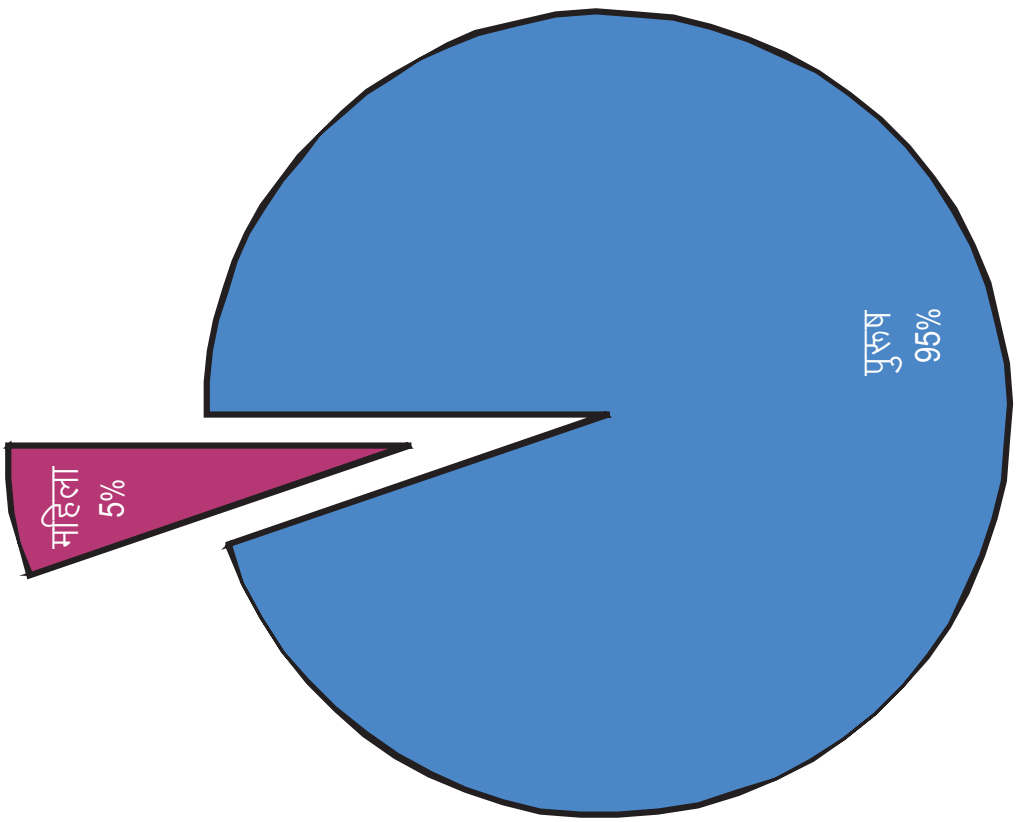

प्राप्त द्वितीय अपीलों का ग्रामीण–शहरी क्षेत्र अनुपात
(2013–14)

आयोग में प्राप्त शिकायतों का जनपदवार प्रतिशत
(2013 – 14)

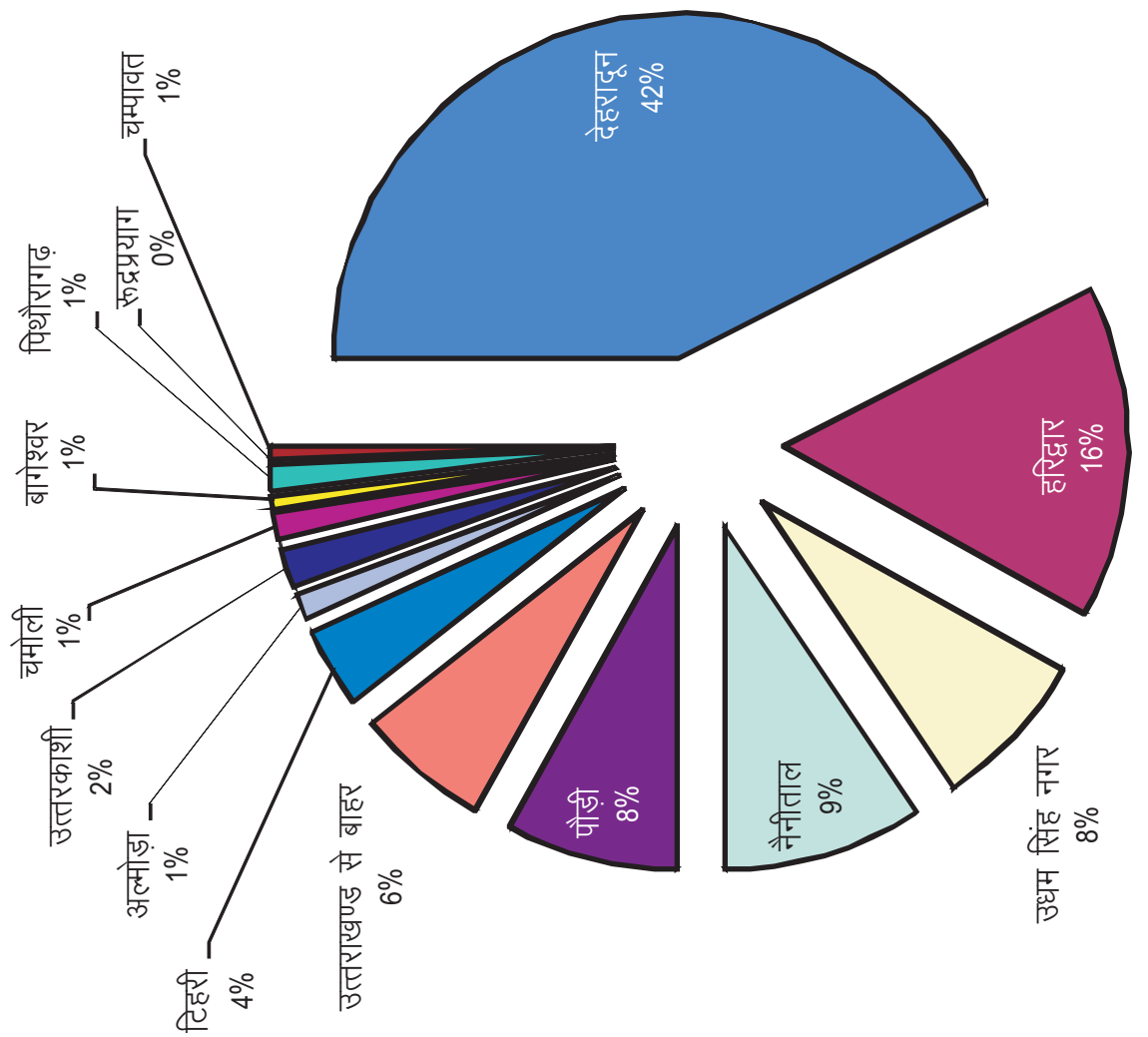

आयोग में प्राप्त शिकायतों का महिला – पुरूष अनुपात
(2013 – 2014)

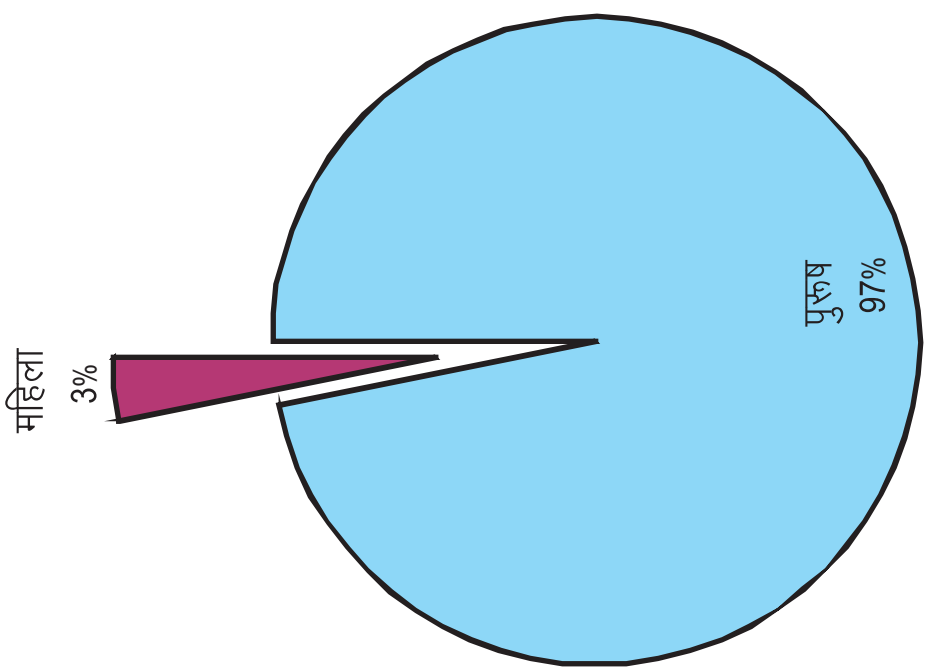

आयोग में प्राप्त शिकायतों का ग्रामीण–शहरी क्षेत्र अनुपात
(2013 – 14)

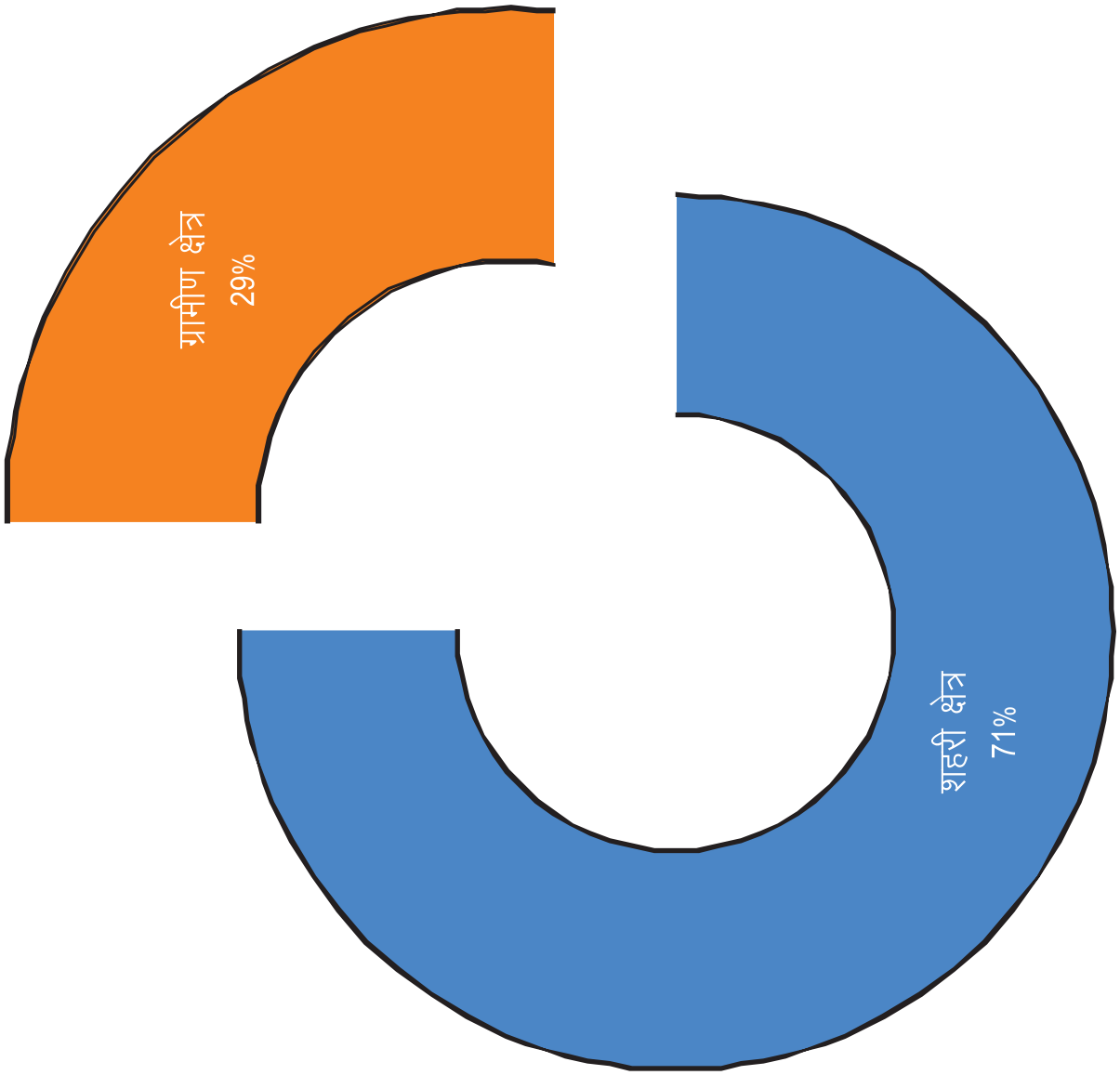

लोक प्राधिकारी / विभागवार प्रगति विवरण

वर्ष : 2013 – 14

क.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	स्तंभ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया												
									सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें												
									धारा 8 (1)											धारा 9	धारा 11	धारा 24
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	कृषि	2359	1645	3	243	213	0	51102													
2	पशुपालन एवं मत्स्य	958	768	0	107	87	0	25630													
3	मुख्यमंत्री कार्यालय	755	273	4	0	1	0	2561													
4	नागरिक उड्डयन	65	65	0	6	6	0	4180													
5	गोपन	55	52	0	3	3	0	682													
6	सहकारिता	993	959	0	243	225	1	6207													
7	संस्कृति एवं अभिलेखागार	76	73	0	20	20	0	396													
8	डेयरी विकास	299	293	0	30	35	0	12159													
9	आपदा प्रबंधन	49	49	0	1	1	0	90													
10	पेयजल	1909	1306	0	282	268	0	14660													
11	उच्च शिक्षा	1220	1207	6	149	147	0	28441												3	
12	विद्यालयी शिक्षा	9299	9223	0	657	571	4	52883													
13	प्राविधिक शिक्षा	1732	1564	46	134	114	17	30521					14		17			20			
14	निर्वाचन	691	687	0	32	25	0	19752													
15	ऊर्जा	3313	2789	21	244	228	3	33020													
16	राज्य सम्पत्ति	188	187	0	20	18	2	1234													
17	सैनिक कल्याण	294	283	0	42	41	0	3171													
18	आबकारी	353	327	1	31	29	0	12925													
19	वित्त	5364	4923	6	421	356	3	95680													
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1703	1600	4	118	92	0	26835													
21	वन	9183	7773	70	1144	939	4	176362													
22	सामान्य प्रशासन	626	608	2	93	93	0	18311													
23	चिकि. स्वा. एवं परिवार कल्याण	1031	1023	8	172	171	1	10138													
24	गृह	13948	13679	61	1131	1115	118	85559								1		1		3	84
25	उद्यान खाद्य प्रस. एवं रेशम	1270	1104	0	144	130	0	14753													
26	आवास	2930	2917	0	245	238	45	124326													

क.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	स्तंभ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया												
									सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें												
									धारा 8 (1)											धारा 9	धारा 11	धारा 24
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
27	उद्योग	1494	1301	5	193	178	0	34362													
28	सूचना प्रौद्योगिकी	32	29	0	2	2	0	466													
29	सूचना	590	438	0	56	62	0	7945													
30	सिंचाई	1543	1174	9	188	201	1	40008													
31	न्याय	215	189	0	19	16	0	2523													
32	श्रम एवं सेवायोजन	2261	1914	0	170	65	0	45328													
33	चिकित्सा शिक्षा	832	703	0	75	66	1	12518													
34	लघु सिंचाई	299	286	5	59	55	0	5853													
35	पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण	2583	2562	0	65	61	4	29979													
36	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा	52	50	0	12	12	0	642													
37	कार्मिक	1141	1090	14	59	53	0	29414													
38	नियोजन	40	30	0	1	1	0	1228													
39	प्रोटोकाल	11	11	0	0	0	0	110													
40	लोक निर्माण विभाग	2950	1701	0	352	196	0	48787													
41	धर्मस्व	6	6	0	0	0	0	80													
42	राजस्व	23622	22941	49	2668	2579	65	160540													
43	ग्राम्य विकास	546	546	0	89	78	0	5786													
44	सचिवालय प्रशासन	267	260	0	14	14	9	8335													
45	समाज कल्याण	1329	937	45	153	117	28	26184													
46	खेल	151	151	0	27	27	0	4600													
47	राज्य पुनर्गठन	29	29	0	1	1	0	238													
48	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	2014	1987	12	156	138	4	21642													
49	पर्यटन	554	547	6	102	102	2	4060													
50	परिवहन	2959	3041	17	355	298	5	29110													
51	शहरी विकास	6222	5857	7	339	305	2	67856													
52	सतर्कता	150	150	0	9	9	0	1292													
53	जलागम प्रबंधन	66	66	0	10	11	0	654													
54	महिला सशक्तिकरण एवं बाल वि.	1356	1356	0	119	119	0	19732													
55	युवा कल्या. एवं प्रांतीय रक्षक दल	77	54	0	8	8	0	1060													

क.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	स्तंभ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया												
									सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें												
									धारा 8 (1)											धारा 9	धारा 11	धारा 24
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
56	राजभवन	196	196	0	25	20	0	2556													
57	विधान सभा	95	95	0	13	13	0	510													
58	उच्च न्यायालय	437	437	5	56	56	44	5650										5		1	
59	अन्य	8	0	0	0	0	0	120													
	कुल योग	**114790**	**105511**	**406**	**11107**	**10029**	**363**	**1470746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**17**	**1**	**0**	**26**	**0**	**7**	**84**

लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्वः प्रकटन की स्थिति

5. लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्वः प्रकटन की स्थिति

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना को स्वैच्छिक रूप से प्रकट (Pro-Active Disclosures) करने का प्राविधान है. अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत कुछ अभिलेखों को अधिनियम के गजट नोटिफिकेशन के 120 दिन के अन्दर अर्थात 12/10/2005 तक पूर्ण कर लेना अपेक्षित था, जिससे लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना इस अधिनियम के अंतर्गत विभागीय मैनुअल के रूप में जन–सामान्य को आसानी से सुलभ हो सके.

समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा जिन बिंदुओं पर मैनुअल तैयार किये जाने हैं, जैसा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) में दिया गया है, वे निम्नलिखित हैं :

(i) संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

(ii) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

(iii) लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना

(iv) नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

(v) दस्तावेजों, जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, श्रेणियों (Categories) के अनुसार विवरण

(vi) बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण. साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठ कें जनता के लिये खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी.

(vii) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ.

(viii) निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एव उत्तरदायित्व के स्तर सहित).

(ix) अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका.

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति.

(xi) प्रत्येक अभिकरण (Agency) को आबंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन विरण की सूचना सहित).

(xii) अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों (Subsidy Programmes) के कियान्वयन की रीति, जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है.

(xiii) रयायतों, अनुज्ञा पत्रों तथ प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण.

(xiv) कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम.

(xv) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे.

(xvi) सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण. किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गई हो, तो उसका भी विवरण.

(xvii) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये.

अधिनियम की धारा 4(1)(ख) की xvii के अनुसार उपरोक्तानुसार तैयार किये गये मैनुअलों का प्रतिवर्ष अद्यावधिकरण कराया जाना अनिवार्य है. परंतु लोक प्राधिकारियों द्वारा उक्त मैनुअलों का वार्षिक या तो अद्यावधिकरण नहीं किया जा रहा है अथवा वार्षिक रूप से नियत एक समयावधि के अंतर्गत नहीं किया जा रहा है. शासन स्तर से इस समस्त लोक प्राधिकारियों को इस संबंध में निर्देश

जारी कर अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है. वार्षिक अद्यावधिकरण के पश्चात समस्त ऐसे मैनुअलों को विभाग/जनपद/शासन की वैबसाईट /पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है.

उपरोक्त मैनुअलों को तैयार करने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा समय–समय पर लोक प्राधिकारियों को निर्गत निर्देशों के फलस्वरूप वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश लोक प्राधिकारियों/विभागाध्यक्षों/कार्याल्याध्यक्षों को तैयार कर लिया गया है. प्रदेश के जिन लोक प्राधिकारियों/ विभागाध्यक्षों/ कार्याल्याध्यक्षों द्वारा अपने तैयार मैनुअल्स को डिज़िटाईज़ कर लिया गया है, उनकी सूची इस अध्याय में दी जा रही है.

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुपालन की स्थिति (वर्ष 2013–14)

राज्य स्तरीय लोक प्राधिकारियों / विभागाध्यक्षों की सूची जिनके द्वारा अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के मैनुअलों को डिजिटाईज़ कर लिया गया है

क्र. सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग		
1	**कृषि विभाग**		
	1.1	कृषि निदेशालय	
	1.2	उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद	
	1.3	उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	
		1.3.1	मण्डी समिति, किच्छा
		1.3.2	मण्डी समिति, ऋषिकेश
		1.3.3	मण्डी समिति, लक्सर
		1.3.4	मण्डी समिति, कोटद्वार
		1.3.5	मण्डी समिति, विकासनगर
		1.3.6	निमार्ण खण्ड, मण्डी परिषद
2	**पशुपालन विभाग**		
	2.1	पशुपालन निदेशालय	
		2.1.1	अपर निदेशक, गोपेश्वर
		2.1.2	अपर निदेशक, पौड़ी
		2.1.3	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, टिहरी
		2.1.4	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पौड़ी
		2.1.5	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा
		2.1.6	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल
		2.1.7	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़
		2.1.8	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग
		2.1.9	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उधम सिंह नगर
		2.1.10	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर
		2.1.11	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चमोली
		2.1.12	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, देहरादून
		2.1.13	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत
		2.1.14	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी
		2.1.15	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, हरिद्वार

		2.1.16	प्रबंधक, कालसी फार्म
		2.1.17	भेड़ एवं ऊन बोर्ड
	2.2	मतस्य निदेशालय	
	2.3	उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड	
3	**मुख्य मंत्री कार्यालय**		
4	**नागरिक उड्डयन**		
	4.1	नागरिक उड्डयन निदेशालय	
5	**गोपन**		
6	**सहकारिता**		
	6.1	सहकारिता निदेशालय	
7	**संस्कृति**		
	7.1	संस्कृति निदेशालय	
8	**डेयरी विकास**		
	8.1	दुग्ध आयुक्त	
9	**आपदा प्रबन्धन**		
	9.1	आपदा प्रबंधन निदेशालय	
10	**पेयजल**		
	10.1	स्वजल परियोजना	
	10.2	उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान	
	10.3	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	
		10.4.1	अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नई टिहरी
11	**उच्च शिक्षा**		
	11.1	कुमांऊ विश्वविद्यालय	
	11.2	दून विश्वविद्यालय	
	11.3	उच्च शिक्षा निदेशालय	
		11.3.1	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर
		11.3.2	ऋषिकुल राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार
		11.3.3	डिग्री कालेज, गरूड़, जनपद बागेश्वर
	11.4	पंतनगर कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय	
	11.5	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	
12	**विद्यालयी शिक्षा**		
	12.1	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय	

		12.1.1	अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
		12.1.2	जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़
		12.1.3	खण्ड शिक्षा अधिकारी, मूनाकोट, जनपद पिथौरागढ़
		12.1.4	खण्ड शिक्षा अधिकारी, धारचूला, जनपद पिथौरागढ़
		12.1.5	खण्ड शिक्षा अधिकारी, दशोली, जनपद चमोली
		12.1.6	डायट, गौचर, जनपद चमोली
		12.1.7	डायट, रूड़की, जनपद हरिद्वार
		12.1.8	डायट, अल्मोड़ा
	12.2	सर्व शिक्षा अभियान	
13	**प्राविधिक शिक्षा**		
	13.1	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय	
		13.1.1	आई.टी.आई., युवक, हल्द्वानी
		13.1.2	आई.टी.आई., पिथौरागढ़
		13.1.3	आई.टी.आई., युवक, पिथौरागढ़
		13.1.4	आई.टी.आई., नई टिहरी
		13.1.5	आई.टी.आई., श्रीनगर
	13.2	उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद	
14	**निर्वाचन**		
	14.1	राज्य निर्वाचन आयोग	
15	**ऊर्जा**		
	15.1	उरेडा	
	15.2	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	
	15.3	पिटकुल	
	15.4	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.	
		15.4.1	अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, नई टिहरी
16	**राज्य सम्पत्ति**		
	16.1	राज्य सम्पत्ति विभाग	
17	**सैनिक कल्याण**		
	17.1	सैनिक कल्याण निदेशालय	
		17.1.1	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, टिहरी
18	**आबकारी विभाग**		
	18.1	आबकारी आयुक्त	
		18 1 1	जिला आबकारी अधिकारी, टिहरी

19	**वित्त विभाग**		
	19.1	आयुक्त वाणिज्य कर	
	19.2	निबंधक, फर्म सोसाईटी एवं चिट्स	
		19.2.1	पिथौरागढ़
		19.2.2	चम्पावत
		19.2.3	टिहरी
	19.3	लेखा एवं हकदारी, निदेशालय	
	19.4	मनोरंजन कर विभाग	
		19.4.1	टिहरी
	19.5	सहकारी समितियां एवं पंचायतें	
	19.6	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग	
	19.7	स्टाम्प एवं निबंधन विभाग	
		19.8.1	मुख्य कोषाधिकारी, टिहरी
20	**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति**		
	20.1	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
	20.2	राज्य उपभोक्ता वाद विवाद प्रतितोष आयोग	
21	**वन**		
	21.1	प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड	
		21.1.1	मुख्य वन संरक्षक, ईको टूरिज्म
		21.1.2	मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट
		21.1.3	मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ
		21.1.4	वन संरक्षक उत्तरी कुमांऊ, अल्मोड़ा
		21.1.5	वन संरक्षक दक्षिणी कुमांऊ, अल्मोड़ा
		21.1.6	वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, देहरादून
		21.1.7	वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, मुनि की रेती
		21.1.8	वन संरक्षक, नन्दा देवी बायोस्फेयर रिज़र्व, गोपेश्वर
		21.1.9	प्रभागीय वन अधिकारी, टिहरी
		21.1.10	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
		21.1.11	प्रभागीय वन अधिकारी, बागेश्वर
		21.1.12	प्रभागीय वन अधिकारी, चम्पावत
		21.1.13	प्रभागीय वन अधिकारी, अल्मोड़ा
		21.1.14	प्रभागीर्य वन अधिकारी, टौंस
		21.1.15	प्रभागीय वन अधिकारी, तराई केन्द्रीय, हल्द्वानी
		21.1.16	प्रभागीय वन अधिकारी, नैनीताल
		21.1.17	प्रभागीय वन अधिकारी, भूमि संरक्षण, उत्तरकाशी
		21.1.18	प्रभागीय वन अधिकारी, हल्द्वानी
		21.1.19	उप वन संरक्षक, नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ

	21.2	राजाजी राष्ट्रीय पार्क		
	21.3	कॉर्बेट टाईगर रिजर्व		
22	**सामान्य प्रशासन विभाग**			
23	**चिकित्सा एवं परिवार कल्याण**			
	23.1			
		23.1.1	मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी	
		23.1.2	मुख्य चिकित्साधिकारी, बागेश्वर	
		23.1.3	मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल	
			23.1.3.1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओखलकाण्डा
			23.1.3.2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमताल
			23.1.3.3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैलपड़ाव
			23.1.3.4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धारी
			23.1.3.5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटाबाग
			23.1.3.6	बी.डी. पाण्डे महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी
		23.1.4	मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली	
		23.1.5	मुख्य चिकित्साधिकारी, चम्पावत	
		23.1.6	मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़	
		23.1.7	मुख्य चिकित्साधिकारी, उधम सिंह नगर	
		23.1.8		
			23.1.8.1	वि.मो.जो. जिला महिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा
	23.2	ई.एम.आर.आई. सेवा		
24	**गृह**			
	24.1	महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस		
		24.1.1	जनपद बागेश्वर	
		24.1.2	जनपद टिहरी	
		24.1.3	जनपद रूद्रप्रयाग	
		24.1.4	जनपद देहरादून	
		24.1.5	जनपद हरिद्वार	
		24.1.6	जनपद चम्पावत	
		24.1.7	जनपद अल्मोड़ा	
		24.1.8	जनपद पिथौरागढ़	
		24.1.9	जनपद पौड़ी	
		24.1.10	जनपद रूद्रप्रयाग	
		24.1.11	जनपद उधम सिंह नगर	
	24.2	राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण		

	24.3		होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय
	24.4		अभियोजन निदेशालय
25	**उद्यान एवं रेशम**		
	25.1		उद्यान निदेशालय
		25.1.1	जिला उद्यान अधिकारी, टिहरी
		25.1.2	जिला उद्यान अधिकारी, चमोली
		25.1.3	जिला उद्यान अधिकारी, देहरादून
		25.1.4	जिला उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी
		25.1.5	जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार
	25.2		रेशम निदेशालय
	25.3		भेषज विकास इकाई
	25.4		चाय विकास बोर्ड
26	**आवास**		
	26.1		मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
	26.2		हरिद्वार विकास प्राधिकरण
	26.3		वरिष्ठ नियोजक, शहरी एवं ग्राम विकास
	26.4		दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
27	**उद्योग**		
	27.1		उद्योग निदेशालय
		27.1.1	भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
		27.1.2	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तराखण्ड
28	**सूचना प्रोद्यौगिकी**		
	28.1		आई.टी.डी.ए.
	28.1		विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग
29	**सूचना एवं लोक संपर्क**		
	29.1		सूचना एवं लोक संपर्क निदेशालय
30	**सिंचाई**		
	30.1		मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष)
		30.1.1	अधिशासी अभियंता, जनपद अल्मोड़ा
	30.2		पुनर्वास निदेशालय, टिहरी डैम परियोजना
31	**न्याय**		
	31.1		न्याय विभाग
	31.2		उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी
	31 3		महाधिवक्ता कार्यालय, उत्तराखण्ड

32	**श्रम एवं सेवायोजन**		
	32.1	श्रम आयुक्त	
	32.2	निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन	
		32.2.1	जिला सेवायोजन कार्यालय, टिहरी
33	**चिकित्सा शिक्षा**		
	33.1	होमयोपैथी निदेशालय	
		33.1.1	जिला होमयोपैथी चिकित्साधिकारी, टिहरी
		33.1.2	जिला होमयोपैथी चिकित्साधिकारी, नैनीताल
	33.2		
		33.2.1	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बागेश्वर
		33.2.2	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, नैनीताल
		33.2.3	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, चम्पावत
		33.2.4	ऋषिकुल आयुर्वेदिक फार्मेसी, हरिद्वार
34	**लघु सिंचाई**		
	34.1	लघु सिंचाई विभागाध्यक्ष कार्यालय	
		34.1.1	अधीक्षण अभियंता, बागेश्वर
35	**पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण**		
	35.1	पंचायती राज निदेशालय	
	35.2	मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	
		35.2.1	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, नई टिहरी
		35.2.1	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बागेश्वर
36	**विधायी**		
	36.1	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा विभाग	
37	**कार्मिक**		
	37.1	कार्मिक विभाग	
	37.2	लोक सेवा अधिकरण	
	37.3	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग	
38	**नियोजन**		
	38.1	बीस सूत्रीय कार्यक्रम	
	38.2	भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण	
	38.3	आर्थिक नियोजन निदेशालय	
39	**प्रोटोकॉल**		
	39.1	प्रोटोकॉल	

40	**लोक निर्माण विभाग**			
	40.1	लोक निर्माण विभाग सचिवालय स्तर		
	40.2	मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष)		
		40.2.1	सिंचाई खण्ड, जनपद बागेश्वर	
		40.2.2	प्रांतीय खण्ड, जनपद बागेश्वर	
		40.2.3	अस्थाई खण्ड, घनसाली, जनपद टिहरी	
		40.2.4	निर्माण खण्ड, नई टिहरी	
		40.2.5	अस्थाई खण्ड, श्रीनगर, जनपद पौड़ी	
		40.2.6	निर्माण खण्ड, देहरादून	
41	**धर्मस्व**			
	41.1	श्री बद्री केदार मंदिर समिति		
42	**राजस्व**			
	42.1	राजस्व पुलिस		
	42.2	मुख्य राजस्व आयुक्त **		
		42.2.1	आयुक्त, कुमांऊ मण्डल	
		42.2.2	आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	
		42.2.3	जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग	
		42.2.4	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़	
		42.2.5	जिलाधिकारी, पौड़ी	
		42.2.6	जिलाधिकारी, टिहरी	
		42.2.7	जिलाधिकारी, अल्मोड़ा	
		42.2.8	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी	
		42.2.9	जिलाधिकारी, देहरादून **	
		42.2.10	जिलाधिकारी, चमोली	
		42.2.11	जिलाधिकारी, हरिद्वार	
		42.2.12	जिलाधिकारी, बागेश्वर	
		42.2.13	जिलाधिकारी, चम्पावत	
		42.2.14	जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर	
		42.2.15	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, हरिद्वार	
43	**ग्राम्य विकास**			
	43.1	आयुक्त, ग्राम्य विकास **		
		43.1.1	मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा	
		43.1.2	मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़	
			43.1.2.1	खण्ड विकास अधिकारी, लोहाघाट

			43.1.2.2	खण्ड विकास अधिकारी, मूनाकोट
		43.1.3		मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर
			43.1.3.1	खण्ड विकास अधिकारी, कपकोट
		43.1.4		मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत
			43.1.4.1	खण्ड विकास अधिकारी, चम्पावत
			43.1.4.2	खण्ड विकास अधिकारी, बाराकोट
		43.1.5		खण्ड विकास अधिकारी, गैरसैंण
	43.2	उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान		
	43.3	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, टिहरी		
44	**सचिवालय प्रशासन**			
	44.1	सचिवालय प्रशासन विभाग		
45	**समाज कल्याण**			
	45.1	समाज कल्याण निदेशालय		
	45.1.1	जिला समाज कल्याण अधिकारी, बागेश्वर		
	45.2	अन्य पिछड़ी जाति आयोग		
	45.3	अनुसूचित जाति जनजाति आयोग		
	45.4	उत्तराखण्ड राज्य वक्फ बोर्ड		
46	**खेल**			
	46.1	खेल निदेशालय		
		46.1.1		जिला क्रीड़ा अधिकारी, उधम सिंह नगर
47	**पुनर्गठन**			
48	**गन्ना एवं चीनी**			
	48.1	आयुक्त, गन्ना एवं चीनी		
49	**पर्यटन**			
	49.1	गढ़वाल मण्डल विकास निगम		
	49.2	कुमांऊ मण्डल विकास निगम		
	49.3	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद		
	49.4	राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान		
50	**परिवहन**			
	50.1	उत्तराखण्ड परिवहन निगम		
51	**शहरी विकास**			
	51.1	शहरी विकास निदेशालय		

		50.1.1	नगर पालिका परिषद, टिहरी
		50.1.2	नगर पालिका परिषद, नैनीताल
		50.1.3	नगर पालिका परिषद, खटीमा
		50.1.4	नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी
		50.1.5	नगर पालिका परिषद, किच्छा
		50.1.6	नगर पालिका परिषद, विकासनगर
		50.1.7	नगर पालिका परिषद, गदरपुर
		50.1.8	नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़
		50.1.9	नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा
		50.1.10	नगर पालिका परिषद, मंगलौर
		50.1.11	नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग
52	**सतर्कता**		
	52.1	सतर्कता ब्यूरो	
53	**जलागम**		
	53.1	जलागम प्रबंध निदेशालय	
54	**महिला एवं बाल विकास**		
	54.1	राज्य महिला आयोग	
55	**युवा कल्याण**		
	55.1	युवा कल्याण निदेशालय	
	55.1.1	जिला युवा कल्याण अधिकारी, टिहरी	
56	**राजभवन**		
	56.1	राजभवन	
57	**विधान सभा**		
	57.1	विधान सभा	
58	**उच्च न्यायालय**		
	58.1	उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड	
	58.2	महाधिवक्ता कार्यालय	

*** अभिलेखों को पुनः टंकित न करा, उन्हें मात्र स्कैन कर मैनुअल तैयार किये गये हैं.*

आयोग के
अंगीकृत संकल्प